

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.14(4)/शिक्षा-1/झुंझुनूं/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 23.06.17

:: संशोधित आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.04.2017 के द्वारा समन्वित किए गए विद्यालयों के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा झुंझुनूं के प्रस्तावनुसार निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

क्र. सं. (1)	आदेश का क्रमांक (2)	पंचायत समिति (3)	आदेशों में अंकित विद्यालयों का नाम (4)	विद्यालय का सही नाम जो संशोधित किया जाना है। (5)
1.	1(19ए व 20ए)	चिडावा	राउमावि लाम्बा गोथरा	राउमावि लाम्बा गोठडा
2.	1(19बी व 20बी)	अलसीसर	राउमावि डिलोई दक्षिण	राउमावि दिलोई दक्षिण
3.	3(19बी व 20बी)	बुहाना	रामावि धाघोत कलां	राबामावि ढाढोत कलां
4.	4(19बी व 20बी)	बुहाना	रामावि धाकमण्डी	रामावि ढाकामण्डी
5.	5(19बी व 20बी)	चिडावा	राउमावि किथाना	राउमावि किठाना
6.	7(19बी व 20बी)	झुंझुनूं	रामावि बकरा	रामावि बाकरा
7.	10(19बी व 20बी)	उदयपुरवाटी	राबामावि सिंहथाल	राबामावि सिथल
8.	1(19सी व 20सी)	चिडावा	राउमावि बकतावरपुरा	राउमावि बख्तावरपुरा
9.	2(19सी व 20सी)	झुंझुनूं	रामावि अबूसर	रामावि आबूसर
10.	5(19सी व 20सी)	झुंझुनूं	रामावि कालीपाहडी	रामावि कालीपहाडी
11.	6(19सी व 20सी)	खेतडी	रामावि मीणावाली	रामावि मीनावाली
12.	8(19सी व 20सी)	खेतडी	रामावि टयोडा	रामावि त्योन्दा
13.	10(19सी व 20सी)	नवलगढ	राउमावि डिगल	राउमावि डिगाल
14.	11(19सी व 20सी)	नवलगढ	राउमावि गोथरा	राउमावि गोठडा

उक्त सारणी में दर्शाई गई वस्तुस्थिति के अनुसार सारणी के कॉलम संख्या 5 में संशोधन उपरान्त लिखे गये विद्यालयों के सही नामों को पढा जावे।

उक्त संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आज्ञा से,

(आर एस झालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), शिक्षा विभाग।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
- ✓ 10. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
11. संभागीय आयुक्त
12. जिला कलक्टर, चूरू।
13. संयुक्त / वरिष्ठ / उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा / आयोजना / शिक्षा ग्रुप-2, 5, 6
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक, संभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक (प्रथम / द्वितीय)
16. रक्षित पत्रावली।

(बी.के. गुप्ता)
विशेष अधिकारी